

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक 497 दिनांक 24.10.18 द्वारा खाता संख्या 20386726919, आई.एफ.एस.सी SBIN0014325 में राशि अंतरित किया गया था, परंतु आश्रित/लाभार्थी के खाता अद्यतन नहीं रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 497 दिनांक 24.10.18 के क्रमांक 17 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, रोहतास के पत्रांक 500 दिनांक 03.07.2019 द्वारा प्राप्त बैंक खाता विवरणी के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम/उप, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/दावेदार	जिलापदाधिका री/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० अजय कुमार, श्री शिव नरायण प्रसाद, पि० वर्ग	श्रीमती सोनी कुंवर/सोनी देवी(पत्नी)	847/18. 09.2018	ग्रा०+पो०-जबर, प्र०-नोखा, रोहतास	670518210 009734	बैंक ऑफ इंडिया, BKID0006705	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कपड़े का फेरी व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 100000/-

(एक लाख रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि(कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव, सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-43/2018 के पृष्ठ-20/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

5. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 497 दिनांक 24.10.18 के क्रमांक 17 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-43/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

महिला समाज आयोगिका

(रीना कुमारी)  
10/07/19

संसाधन विभाग की सूचनाएं प्रेषित

मुख्य विन पदाधिकारी

(डि० गणेश कुमार झा)

10/07/19

कार्यालयी निदेशिका

(गणेश मीणा)

10/07/19

उक्त लाभियों की बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनाएं प्रेषित।  
निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 100000/- (एक लाख रुपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, रोहतास को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्याध्य प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, रोहतास को सूचनाएं प्रेषित/ आर्टि० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्याध्य प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनाएं प्रेषित/माननीय मंत्री के आप सचिव, श्रम

शेष संख्या :- श्रम क० सं०-43/2018 १३८

पटना, दिनांक :- 10/07/19